Review of Politics
Vol. XXVII, No. 1–2, Jan.-June & July-Dec., 2019 ISSN 0972-1436

सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशीला- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन

अमित कुमार*

परिचय :

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र वह पद्धति है जिसमें जनता की सरकार होती है। यह लोगो की अपेक्षाओं, आशाओं, आकांक्षाओं, संघर्षों एवं जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ है। इनमें से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र की सबसें मुख्य आधारशिला हैं। यह निर्वाचन प्रकिया की आत्मा या हृदय है। यह निर्वाचन प्रक्रिया जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। वास्तव में लोकतंत्र राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्भर जनता की सक्रिय भागीदारी एवं हितों पर आधारित होती है। निर्वाचन में ही एक व्यक्ति मतदाता के रूप में सामने आता है क्योकि यह निर्वाचन ही है जो जनता की संप्रभुता को संस्थागत रूप एवं वास्तविकता प्रदान करता है। संम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का भार उत्तरदायी कार्यकारी अधिकारियों के कंधों पर होता है।

New Standard Encyclopaedia के अनुसार, निर्वाचन मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया है। निर्वाचन ही लोगों को अपनी इच्छाओं को प्रकट करने एवं इसे प्रभावकारी बनानें का मुख्य साधन मुहैया कराता है। स्वतंत्र, बारम्बार एवं निष्पक्ष निर्वाचन के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव ही नहीं है।

भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव–

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्वाचन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्वाचन के माध्यम से ही लोकनीति में नागरिकों के मनोभावों की सहभागिता से प्रजातन्त्र का कियान्वयन होता है। विशाल जनसंख्या, विस्तृत भूमि तथा व्यापक कार्य क्षेत्र के कारण आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागी हों, ऐसा असभ्भव है। इसके विकल्प के रूप में ही प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र का प्रचलन हुआ है। इस तरह के प्रजातांत्रिक राज्य में जनता अपनी शासन शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से करती है। इस तरह प्रतिनिधित्व का महत्व प्रजातंत्र के विकास के साथ ही बढ़ता गया है।

"लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित सता जनता के पास होती है। यह जनता प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर अपनी ओर से उन्हें शासन का अधिकार प्रदान करती है। इससे हर

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि ही व्यवहार में शासन शाक्ति के धारणकर्ता एवं प्रयोगकर्ता दोनों हो जाते है।"[1] "वर्तमान समय में जनता का महत्वपूर्ण कार्य उन प्रतिनिधियों के बीच माध्यम बनना है, जो राजनीतिक व्यवस्था दृटिगोचर होती है, जिसे रॉबर्ट डहल ने प्रजातंत्र का "द्वितीय हस्तानान्तरण की प्रकिया" कहा है।"[2]

लोकतंत्र शब्द का आशय समझ लेना आवश्यक है। लोकतंत्र के लिये अंग्रेजी भाषा 'डेमोक्रेसी' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'डेमोक्रेसी' शब्द युनानी 'डेमोक्रेसी' से अस्तित्व मे आया है।'' डेमोक्रेटस शब्द, दो शब्दों 'डेमो' और 'क्रेटस' से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ जनता और क्रेटस का शासन होता है। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन होता है''[3] 400 ई०पू० के लगभग यूनान के एथेन्स में प्रारम्भ किये गये प्रजातंत्र में डेमास (जनता) को, अन्य किसी की भी अपेक्षा अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी। यूनानी प्रजातांत्रिक नगर– राज्यों की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ की जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी शासन व्यवस्था में सम्भव होती थी। आज के राष्ट्रीय राज्यों की तुलना में उन नगर राज्यों की जनसंख्या काफी कम हाने की वजह से वहाँ की जनता शासन सता में अपनी प्रत्यक्ष सहभागीता सुनिश्चित कर लेती थी। ''442 ई०पू० में जन्में महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'दी लाज' में आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बतायी थी।''[4] इस प्रकार एथेन्स के नगर राज्यों का आकार छोटा होता था। सीमित जनसंख्या के कारण ही यूनानी नागरिक इस स्थिति में थे कि वहाँ की राजनीतिक प्रकिया की निगरानी एवं स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर सकें।

परन्तु आज के युग में प्राचीन युनानी नगर–राज्यों जैसे राज्य नहीं रह गये हैं। लोकतंत्र ने अपनी विकास यात्रा में बहुत बदलाव किया है। आज यूनानी नगर–राज्यों का आकार विस्तृत हो चुका है। ''अगर आज के राष्ट्रीय राज्यों एवं प्राचीन यूनानी नगर–राज्यों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो पाते हैं कि प्लेटो द्वारा आदर्श राज्य के लिए निर्धारित जनसंख्या 5040 का स्थान भारत जैसे लगभग 50 लाख एक अरब वाले विशाल राज्यों ने ले लिया है। यद्यपि यह निःसन्देह सत्य है कि विशाल आकार एवं जनसंख्या के कारण प्राचीन यूनानी नगर–राज्यों की तरह शासन तन्त्र में आज जनसहभागिता सम्भव नही है। फिर भी लोकतंत्र में जनसहभागिता एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का उल्लेख 'पौराणिक गाथाओं' में भी मिलता है।''[5] ''प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता समस्त मामलों में एवं समस्त राजनितिक प्रक्रियाओं पर अपना नियत्रंण रखती है। अब्राहन लिंकन ने 1861 ई० में गेट्सबर्ग में दिये गये भाषण में प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।''[6]

वर्तमान समय में निर्णय–निर्माण एवं राजनीतिक इच्छा के पूर्णता हेतु पृथक एवं अलग प्रकिया को स्वीकार किया जाता है, जिसमे विशाल आकार के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की सामान्य इच्छा के संकल्प को पूरा किया जा सके। यह सत्य है कि ''वर्तमान समय मे यूनानी नगर–राज्यों के समान लोकतंत्र की स्थापना करना सम्भव नही है, फिर भी आधुनिक समाज में राज्य के कार्यों में, विशेष रूप से व्यवस्थापन में बहुत ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है और अधिकांश

लोग शामिल होते है, उनकी इस तरह की सहभागिता भी प्रभावी एवं अर्थपूर्ण है।''[7] चुंकि यूनानी नगर–राज्यों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जनता का सम्पूर्ण भाग नीति–निमाण एवं राजनीतिक कार्यो में भाग लेने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपना मत व्यक्त करते थे, परन्तु आज के विशाल राज्यों में सम्पूर्ण जनता का एक स्थान पर इकटठा होकर अपना मत व्यक्त करना सम्भव नही है, तो भी आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता अपनी सहभागिता प्रदान कर रही है और अपना मत व्यक्त कर रही है, वह भी महत्वपूर्ण एवं तर्कसंगत नही है।

भारत में संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार अपनाया गया है, जिसका उल्लेख ''संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतदाता सूची मे नाम दर्ज कराने के लिए अहर्ताएं पूरा करता है। प्रारम्भ में यह आयु सीमा 21 वर्श थी, लेकिन 1989 में''[8] यह आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तब से आज तक यही आयु सीमा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है, निवार्चन में मतदाता के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का वैधानिक अधिकार नही रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जिसका नाम मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत नही है, वह मतदान का अधिकारी नही होता है। अगर कोई भी व्यक्ति शासन सता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, तो उसे मतदाता सूची में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य शर्त है।

वास्तव में अगर देखा जाय तो भारतीय संविधान में किसी भी स्थान पर नागरिकों को सरकार के निर्माण का अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लिखित नही है, परन्तु जनता का सरकार बनाने या लोकप्रिय सरकार की स्थापना का अधिकार लोकतंत्र का मुख्य स्तम्भ होता है। यह अधिकार किसी भी नागरिक की उस सर्वोच्च स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।''[9]

नागरिक वस्तुतः उसी अधिकार का व्यवहार में प्रयोग करते हुए सरकार निमार्ण की प्रकिया में भागीदारी सुनिश्चित करते है। संविधान में 19 (क) के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य अनुच्छेद हैं जो समस्त व्यक्तियों को नही, बल्कि नागरिको को ही मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जाने के सन्दर्भ में व्यक्तियों एवं नागरिकों में अन्तर स्पष्ट है।

जनप्रिय सरकार वास्तव में एक प्राधिकृत सरकार होती है। संविधान के अन्तर्गत एक प्राधिकृत सरकार वह है, जो नागरिकों द्वारा निर्वाचित हो। भारत में नागरिक अपनी सरकार का निर्वाचन संविधान के अन्तर्गत प्राप्त अनुच्छेद 19 (क) द्वारा प्रदत मूलाधिकार के प्रभाव से करते हैं। लोकप्रिय सरकार जनता के चयन के प्रमाण के रूप में संविधान के अन्तर्गत कार्य करने हेतु जनता द्वारा प्राधिकृत होती है। लोकतंत्र जनता के मत की महत्ता से संचालित होता है और मत किसी नागरिक के द्वारा उसके चयन की अभिव्यक्ति का प्रतीक है।

मत देने का अधिकार वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संव्यवहार का एक माध्यम है।

संविधान के अन्तर्गत मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के विषय में जाति, धर्म, वर्ग या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर विभेद पर प्रतिबन्ध है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से इस आधार पर इनकार नही किया जा सकता है कि सम्बन्धित व्यक्ति अमुक जाति या धर्म से सम्बन्ध रखता है।[10] इसी प्रकार संविधान के अन्तर्गत ही लोक सभा व राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन 'सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होते है। संविधान में कहा गया है कि "कोई नागरिक केवल अनिवास, चित–विकृत, अपराध भ्रष्ट अवैध आचरण के आधार पर ही संविधान या उपयुक्त विधायिका द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है।"[11]

वस्तुतः निर्वाचन सरकार और जनता के बीच अनुबन्ध की अभिव्यक्ति है। अगर देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि "राज्य की उत्पति के 'सामाजिक समझौता सिद्धान्त' के विचारक थॉमस, हॉब्स, जॉन लॉक व जीन जैक्स रूसो द्वारा संकल्पित सामाजिक संविदा दर्शन का सिद्धान्त मतदाता की स्वतंत्रता के रूप में परिलक्षित होता है। राज्य का संविधान लेखबद्ध संहिता होता है।"[12]

वास्तव में संविदा का विचार संविदा के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति की पूर्व अपेक्षा करता है और सहमत होने की स्वतंत्रता किसी भी संविदा का मूलाधार होता है, लेकिन सहमति होने के लिय यह भी आवश्यक है कि सहमत होने वाला व्यक्ति अनुबन्ध करने मे सक्षम हो। सक्षमता किसी भी व्यक्ति के अनुबन्ध में पक्षकार होने के लिए पूर्व शर्त है। यह एक मान्य तथ्य है कोई विक्षिप्त या अवयस्क व्यक्ति अनुबन्ध करने में सक्षम नही है। भारतीय संविधान के सन्दर्भ में अनुबन्ध हेतु निर्धारित पूर्वशर्तों का उल्लेख किया गया है। यह अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 326 में हुई है। संविधान के अन्तर्गत मत देने के अधिकार का प्रयोग करने की प्रथम शर्त यह है कि व्यक्ति मतदाता बनने हेतु निर्धारित अर्हताए पूर्ण करता हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक तथा वास्तविक मूल अधिकार, जहाँ सभी नागरिकों को प्राप्त है, वही सरकार के निमार्ण के सन्दर्भ में अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का संव्यवहार करने का अधिकार एवं स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रान्त नही है। इसका प्रयोग केवल मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है, और मतदाता बनने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षा संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है, जिसको पहले अन्यत्र लिखा भी जा चुका है।

यहाँ पर यह संशय करना उचित नही है कि संविधान के अनुच्छेद 326 में किसी भी प्रकार अनुच्छेद 19(1)क में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार में कटौती की है। अभिव्यक्ति का सामान्य अधिकार समस्त नागरिकों के द्वारा संव्यवहार्य है तथा अनुच्छेद 326 में केवल नागरिकों के एक उपवर्ग को अभिप्रेत किया गया है, जिसे सरकार के निमार्ण सम्बन्धी दायित्वों का उतरदायित्व प्रदान किया गया है।

किसी भी राज्य में निर्वाचन के लिए उतरदायी निकाय का सम्बन्ध समस्त नागरिकों से न होकर केवल मतदाताओं से होता है।" भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।"[13] इसका आषय यह है कि "इस अधिकार पर आक्रमण या इसका उलंधन किसी भी शक्ति द्वारा नही किया जा सकता है।"[14] मत देने का अधिकार ही वास्तव में ऐसी शक्ति है, जिसके तहत कोई भी

व्यक्ति राज्य की सता मे अपनी भागीदारी निभाता है। लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के रूप में वयस्क मताधिकार समाज व शासन के सम्बन्ध को व्यक्त करता है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राबर्ट डहल, डेमोक्रेसी एण्ड इटस कीटकस, ओरियन्टस, लागंमन, दिल्ली. 1991, पृ० 213
2. आर० बी० सिंह तोमर, राजनीति विज्ञान के मुलं सि़द्धान्त, मिक्षाट्रेडिंग, वाराणसी, 2004, पृष्ठ–170
3. जे० सी० जौहरी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, स्टलिंग पबिलशर्ज प्रा०लि० नईदिल्ली 2001,पृस्ट–47
4. रामाक्षय राय, कैपटिव विजन– आइडियाज एज वीपन, अजन्ता पब्लिकेशन, 1993, पृष्ट–9
5. डा० आर० बी० सिंह तोमर, राजनीति विज्ञान के मुल सिद्धान्त, भिक्षाट्रेनिंग कारपोरेशन, वाराणसी, 2004, पृस्ठ–170
6. डेविस सिल्स, डेमाक्रेसी इन्टरनेशनल, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशलसाइन्स फ्री प्रेस, न्यूयार्क, 1979, पृष्ठ–115
7. 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
8. संविधान का अनुच्छेद– 19 (क) भाग–3
9. अनुच्छेद– 325
10. अनुच्छेद– 326 50
11. आर० जी० चतुर्वेदी, स्टेट एण्ड राइट मैन, मेटोपोलिटन बुक कम्पनी, दिल्ली 1971, पृष्ठ–2
12. संविधान का अनुच्छेद– 19 (क) भाग–3
13. संविधान का अनुच्छेद–13